

Filling no. RCS-A/346/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 78 ए/2017

न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/346/2017

CNR no. MP30010032932017

सिविल वाद क्रमांक 78 ए/2017

संस्थित दिनांक 20.06.2017

चन्दन सिंह पुत्र अनिल सिंह, उम्र-12 वर्ष
सरपरस्त माँ रमादेवी पत्नी अनिल सिंह,
उम्र-35 वर्ष, निवासी-पंडित कॉलोनी,
शास्त्री नगर वार्ड क्रमांक 9 ए ब्लॉक,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदक/वादी

// बनाम //

1. मुन्ना सिंह पुत्र प्रताप सिंह राजावत, उम्र-60 वर्ष

.....अनावेदक/असल प्रतिवादी

2. अनिल सिंह पुत्र मुन्ना सिंह, उम्र-37 वर्ष

दोनों निवासी-पंडित कॉलोनी, ए ब्लॉक,
शास्त्री नगर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

3. श्रीमती सुनीता देवी पुत्री मुन्ना सिंह

पत्नी विनोद सिंह भदौरिया, उम्र-30 वर्ष

निवासी-ग्राम स्योंढ़ा, परगना व

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

..... तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री रामदुलारे शर्मा।
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 द्वारा श्री शरदचन्द्र त्रिपाठी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

// आदेश //

(आज दिनांक **05.10.2017** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. यह सिविल वाद वार्ड क्रमांक 9, कस्बा व जिला भिण्ड स्थित अवयस्क वादी के बाबा प्रतिवादी क्रमांक 1 मुन्ना सिंह द्वारा खरीदे गये भूखण्ड 15 X 40 व उस पर बने मकान (एतस्मिन् पश्चात् **“विवादित मकान”** से निर्दिष्ट) पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

3. वादी का आवेदन संक्षेप में यह है वादी चन्दन सिंह (अवयस्क) के बाबा प्रतिवादी क्रमांक 1 मुन्ना सिंह हैं और पिता प्रतिवादी क्रमांक 2 अनिल सिंह यादव हैं। विवादित मकान का भूखण्ड प्रतिवादी क्रमांक 1 मुन्ना सिंह ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1988 से क्रय किया था, अवयस्क वादी की माँ वैध संरक्षक रमादेवी ने अपने स्त्री धन व गहने बेचकर वर्ष 2001 में 50,000/—रुपये नगद खर्च कर उक्त भूखण्ड पर विवादित मकान का निर्माण कराया और वर्तमान में विवादित मकान एक मंजिल सम्पूर्ण व दूसरी मंजिल पर एक कमरा, शौचालय बना हुआ है। अवयस्क वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार है, सहदायिकी के सदस्य के नाते विवादित मकान पर वादी का जन्म से हक व हित है और वादी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी के बाबा प्रतिवादी क्रमांक 1 व वादी के पिता प्रतिवादी क्रमांक 2 शराब, गांजा की लत में विवादित मकान को विक्रय करने हेतु प्रयासरत् है, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने तहसील चकरनगर, जिला—इटावा (उ0प्र0) की पैतृक कृषि भूमि भी विक्रय कर दी है और अब विवादित मकान विक्रय करना चाहते हैं। विवादित मकान पर अवयस्क वादी का सहदायिक के नाते जन्म से हक व हित है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है, विवादित मकान विक्रय किये जाने की दशा में वादी के पास रहने की कोई जगह नहीं बचेगी और अवयस्क वादी को अपूर्णनीय क्षति भी होगी। अतः वाद के लम्बनकाल तक विवादित मकान विक्रय करने से प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित मकान का भूखण्ड प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने स्वयं की आय से क्रय किया है, स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी आय से विवादित मकान का निर्माण कराया है और इस प्रकार विवादित मकान स्वअर्जित सम्पत्ति है। भूखण्ड क्रय किये जाने के बाद उस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने मकान बनवाया है, विवादित मकान का निर्माण कार्य प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 अनिल व अवयस्क वादी की माँ वैध संरक्षक रमादेवी के बीच विवाह के पूर्व ही हो चुका था और विवादित भूमि व उस पर बने मकान में वादी का कोई हक व हित नहीं है। वास्तव में वादी चंदन की माँ वैध संरक्षक रमादेवी व वादी के पिता प्रतिवादी क्रमांक 2 अनिल शादी के बाद से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 को परेशान करते हैं और प्रतिवादी क्रमांक 1 व उसकी पत्नी के इलाज, भरण—पोषण की

भी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। अवयस्क वादी की एक बहन ने भी अवयस्क वादी के माता-पिता के व्यवहार से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली है और वादी ने बिना किसी आधार के यह वाद संस्थित किया है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या भी कोई मामला नहीं है और आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 से 3 :-

6. इस मामले में अवयस्क वादी चंदन सिंह की उम्र-12 वर्ष है, वादपत्र के अभिवचन के अनुसार विवादित मकान से सम्पृक्त 15 X 40 का भूखण्ड वादी के बाबा प्रतिवादी क्रमांक 1 मुन्ना सिंह ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1988 से क्रय किया है, इस प्रकार उक्त भूखण्ड प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है।

7. वादपत्र के अभिवचन के अनुसार विवादित मकान का निर्माण अवयस्क वादी की माँ वैध संरक्षक श्रीमती रमादेवी ने वर्ष 2001 में अपने स्त्रीधन व गहने बेचकर कराया था जिसमें 50,000/-रुपये की लागत लगी थी। अवयस्क वादी की वर्तमान आयु-12 वर्ष है, स्पष्ट है कि करीब 16 वर्ष पूर्व वर्ष 2001 में विवादित मकान के निर्माण के समय भी वादी का जन्म नहीं हुआ था और इस अभिवचन का कोई आधार नहीं है कि विवादित मकान अवयस्क वादी की वैध संरक्षक माँ श्रीमती रमादेवी ने अपने स्त्रीधन व गहने बेचकर कराया है।

8. सम्पूर्ण वादपत्र या आवेदन में इस तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित मकान को किसे बेचने हेतु प्रयासरत् है, कब इस संबंध में चर्चा हुयी और उक्त परिस्थिति में विवादित मकान के विक्रय की कोई युक्तियुक्त आशंका भी अभिलेख पर प्रकट नहीं हो रही है।

9. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1988 से कस्बा भिण्ड के वार्ड क्रमांक 9 में एक भूखण्ड 15 X 40 फीट क्रय किया है, इसी भूखण्ड पर विवादित मकान का निर्माण हुआ है और विवादित मकान का निर्माण किये जाते समय वर्ष 2001 में भी अवयस्क वादी का जन्म नहीं होने से विवादित मकान पर अवयस्क वादी का कोई हक व हित नहीं है।

10. अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचन से प्रथम दृष्ट्या यही प्रकट होता है कि विवादित मकान प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है और ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में उसके पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 या पौत्र अवयस्क वादी का कोई हक व हित नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं है। वादी के पक्ष में कोई मामला न होने से सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने के पक्ष में है और विवादित मकान के प्रथम दृष्ट्या स्वामी प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण से रोके जाने का कोई आधार नहीं है। यद्यपि कि अवयस्क वादी का यह अभिवचन है कि विवादित मकान विक्रय कर दिये जाने की दशा में उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, किन्तु मात्र इस आधार पर वादी के पक्ष में बिना किसी प्रथम दृष्ट्या मामला के विवादित मकान के संबंध में कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

11. उक्त संपूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं है, ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति भी वादी के पक्ष में नहीं मानी जा सकती है और उक्त प्रस्तुत सम्पूर्ण विवेचना से वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)	(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड	द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)	(म0प्र0)